

5/27/26, 4:43 PM

Court Order Print

गाटा सं०
597
गहलवारा



न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम :- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202610460508153
वाद संख्या :- 8153/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम मीना शुक्ला
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि :- 09/05/2026

वाद सं०-

ग्राम-गहलवारा

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 18.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इष्टहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं० 00192 की गाटा सं० 597स रकबा 0.8570हे० में से विक्रीत रकबा 0.0185हे० विक्रेता का सम्पूर्ण मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती मीना शुक्ला पत्नी राकेश शुक्ला निवासिनी पिक सिटी मोहान रोड आवास विकास लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरुण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 18.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



जाहस- 597

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460508442
वाद संख्या:- 8442/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम सुलेमान
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/05/2026

वाद सं०-
ग्राम-गहलवारा
निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 26.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इष्टहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश
अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं० 00213 की गाटा सं० 597स रकबा 0.8030हे० मे से विक्रीत रकबा 0.5500हे० विक्रेता का सम्पूर्ण मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री सुलेमान पुत्र भिखारी निवासी गहलवारा, काकोरी मोड, मोहान रोड, लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 26.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



मायक: 597

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-3)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- वीरेन्द्र कुमार
मण्डल : लखनऊ , जनपद : लखनऊ , तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460517631
वाद संख्या:- 17631/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम अमित कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 03/06/2026

ववाद सं०-

ग्राम-गहलवारा निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण लेखपाल की हस्तान्तरण रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भ किया गया, जो कि विक्रयपत्र दिनांक 22.04.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार वाद पंजीकृत कर इष्टहार जारी किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी क्षेत्रीय लेखपाल बयान के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। विक्रीत भूमि सीलिंग भूदान व पट्टे की नहीं है। जिससे यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। यह आदेश इस तथ्य के अधीन रहेगा कि भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है या भूमि किसी संस्था/बैंक में बन्धक/भारयुक्त पायी जाती है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं० 00192 की खसरा सं० 597स रकबा 0.8570हे० में से विक्रीत रकबा 0.0116हे०, विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री अमित कुमार पुत्र सुदामा प्रसाद निवासी दुगौली काकोरी लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री ंषहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण गोमतीनगर लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 22.04.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:

ना० तह० बिजनौर(पी३)

सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



जाब - 597

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- शालिनी तिवारी
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460543888
वाद संख्या:- 43888/2025
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम अतुल कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 01/06/2026

ग्राम- गहलवारा, परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी सन् 1426-1431 फ० की गाटा संख्या 597 सं रकबा 0.8030 हे० में से विक्रित रकबा 0.2530 हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा० गु० 60ख से विक्रेता श्री अतुल कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी बेगरिया दुबग्गा लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.11.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

क्रमांक संख्या :- 21339

विक्रय मूल्य :- 70,84,000/-

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



जायस 597 स
ग्राह्य 315
गताप्र गहलवा

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460507289
वाद संख्या:- 7289/2026
शानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम अमित कश्यप
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/05/2026

वाद सं०-

ग्राम-गहलवारा

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इष्टहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खसरा सं० 315 रकबा 0.1560 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0096 हे० व खसरा सं० 597 रकबा 0.2280 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0055 हे० कुल दो किता कुल विक्रीत रकबा 0.0151 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा० गु० 60 ख से अंकित खातेदार विक्रेता अमित कश्यप पुत्र मुनक्के कश्यप निवासी नरौना लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 07.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"